न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-231/2012

यशवन्तसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी ठिमोली तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सावित्री पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी कुमावास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नं0-34 विष्णुमार्ग हणमान नगर विस्तार खातीपुरा सिरसी रोड जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट---

2-लक्ष्मणसिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ठिमोली तहसील रामगढ सेठान जिला सीकर(मृतक) वारिस अपीलान्ट

---रेस्पोडेन्ट/प्रति0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-11-72 द्वारा उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री भगवानसिंह धायल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सागरमल धायल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा घोषणा का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी प्रतिवादी की पुत्री है। जिसका विवाह प्यारेलाल के साथ दिनांक 3-2-1070 को किया और विवाह के अवसर पर ग्राम ठिमोली में स्थित अपने खाते काश्त की आराजी ख0नं0 327 रकबा 34 बीघा5 बिस्वा में से उत्तर की ओर की 50बीघा खाम भूमि जिसके पूर्व में हनुमान बक्स ब्राहम्ण का खेत, पश्चिम में रूघा भूरा जाट का खेत, उत्तर में माला चमार का खेत व दक्षिण में प्रतिवादी व

इस आराजी पर काबिज काश्तकार चलि आ रही है ।जिसकी खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारीणी है ।जिसके लिये दावा पेश किया ।प्रतिवादी ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया । जिस पर अदालत मातहत ने वादीनी का दावा डिक्री कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है_। अदालत मातहत ने रेस्पोंडेन्ट/वादीनी के मौखिक कथन के आधार पर दान पत्र दिया जाना उल्लेखित कर उक्त को स्वीकृत कर लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में कोई उल्लेख न किये जाने के बावजूद दान स्वीकृत मान लेने व उक्त दान के आधार पर रेस्पोंडेन्ट को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने में कानूनी भूल की है ।कानून में अचल सम्पति का मौखिक दान देकर दान ग्रहिता का दान की गई सम्पति का मालिक मानने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने मौखिक दान के आधार पर रेस्पोंडेन्ट वादी का उक्त आराजी का खातेदार व मानने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट मृतक लक्ष्मणसिंह का पुत्र होने से विवा-दित आराजी में हक हिस्सा निहित है। उसके बावजूद भी रेस्पोंडेन्ट ने षडयन्त्र रचकर मौखिक दान पत्र का कानून में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद योग्य अदालत मातहत ने दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है ।दावे में भू-धारक आवश्यक पक्षकार था जिसे बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया है।आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य होते हुये डिक्री कर कानूनी भूल की है। वादिनी ने विवादित आराजी का दान सन् 1970 में दिया जाना जाहिर किया है । जिसके मुताबिक सम्वत 2027 होती है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा काश्त लक्ष्मणसिंह का सम्वत 203। तक चलता रहा। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट के पिता का कब्जा विवादित आराजी पर सन् 1974 तक विधिवत रहा है। उसके बाद लगातार आज दिनांक तक कब्जा काश्त अपीलान्ट का चला आ रहा है। रेस्पोंडेन्ट/वादीनी को दान के आधार पर कोई कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है ।अदालत मातहत ने रेस्पोंडेन्ट का कब्जा मानकार आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट योग्य

अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही । अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी एक अन्य वाद सावित्री बनाम यशवन्तसिंह न्यायालय उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर के नोटिस दिनांक 28-7-12 को प्राप्त होने पर इस वाद का मालूम हुआ जिस पर यह दावा जानकारी से अन्दर मियाद पेश है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मँगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल खसरा गिरदावरी सं0-2016 से 2019 में ख0नं0 327 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी लक्ष्मणसिंह पुत्र हीराराम जाट के नाम दर्ज है जिसमें काश्त भी खातेदार की ही दर्ज है । प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया तथा इसी दिनांक 29-11-1972 को ही एक प्रार्थना पत्र पेश कर जबाब दावा पेश करने का निवेदन किया ।अदालत मातहत ने वादी का दावा मौखिक दान के आधार पर डिक्री किया है । जिसके विपरित अपीलान्ट नेदौराने बहस बताया कि खातेदारी अधिकार मौखिक तौर पर नहीं दिये जा सकते जैसा धारा-123 अन्तर कैसे किया जावेगा जिसमें दर्ज किया है"123 अंतरण कैसे किया जाता है- स्थावर सम्पत्ति के दान के प्रयोजन के लिये वह अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा ।साथ ही अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है उसके लिये अपीलान्ट ने बताया कि वहअदालत मातहत में पक्षकार नहीं था इस कारण अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की की जिसके समर्थन में आरआरडी अक्टूबर 2003 पेज 502, आरआरडी 14-12-2008 पेज 804, आरआरडी मई 2004 पेज-261, आरएलडब्लू 2006(1)पेज-276 राज0पेश

की है ।अपील में अपीलान्ट ने गोदनामा दिनांक 27-10-1987 पेश किया जिसमें लक्ष्मणासिंह ने अपनी बडी लडकी सनोदेवी के बडे लडके अपीलान्ट चि0 यसवन्तसिंह पुत्र भागीरथसिंह को गोद लिया है ।अदालत मातहत ने दावा केवल मौखिक दान के आधार पर दावा डिक्री किया है । अपीलान्ट लक्ष्मणासिंह का दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र होने के नाते दत्तक पिता की आराजी को मौखिक दान के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता जैसा-धारा-123 में"" अन्तरण कैसे किया जाता है- स्थावर सम्पत्ति के दान प्रयोजन के लिये वह अन्तरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम दो ~~का~~ साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा।"प्रस्तुत नजीरों के अनुसार अपीलान्ट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दि0 29-11-1972 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्य सबूत लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-4-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर